फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

फोन नं0–05222206901 1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001 फैक्स नं0 05222206120

संख्या: डीजी–5/6–विविध/2016/04 दिनांक: लखनऊ:जनवरी 20, 2016

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषय: समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS)जन सुनवाई के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में।

कृपया श्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 01/2016/01/चौंतीस–लो0शि0–05/2016 दि0 16–1–2016 के द्वारा समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जन सुनवाई के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन द्वारा उक्त शासनादेश में निहित निर्देशों का तत्काल अनुपालन कराने की अपेक्षा की गई है। यह शासन की **website: shasanadesh.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

इस शासनादेश के कम में निम्नानुसार कार्यवाही समयवद्ध रूप से सुनिश्चित करायी जाये:–

(1) प्रणाली के डाटा बेस में राजस्व ग्रामों की थानों से त्रुटि रहित मैपिंग तत्काल करायी जाय।

(2) जनपद के जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी से अपने लागिन आई0डी0(यूजर नेम) व पासवर्ड तत्काल प्राप्त किए जायें।

(3) अपने कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए नोडल अधिकारी व सहायक (आपरेटर) का नाम, मोबाइल नम्बर, ई–मेल, आई0डी0, आदि की सूचना तत्काल (IGRS) पोर्टल Jansunwai.up.nic.in पर उपलब्ध कराई जाय।

(4) 25 जनवरी 2016 से अपने कार्यालय में 10 से 12 बजे के मध्य जन सुनवाई फैक्स, ई–मेल आदि से प्राप्त समस्त आवेदन–पत्रों की प्रविष्टि तथा आख्या प्राप्त कर निस्तारण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से इसी प्रणाली के माध्यम से की जाय।

(5) अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी,प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारियों को भी आई0सी0टी0 इन्फास्ट्रक्चर की उपलब्धता के अनुसार ई–मार्किंग के माध्यम से आवेदन पत्र भेजने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रयास किया जाय।

—2

(6) वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय के संदर्भ वेबसाइट upcmo.up.nic.in पर अपलोड किए जा रहे हैं। दिनांक 05 नवम्बर, 2015 से यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है कि आपको मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजे जाने वाले संदर्भ अब हार्ड कापी से नहीं भेजे जायेंगे तथा आपको इस वेबसाइट से अपने लागिन पासवर्ड का प्रयोग कर संदर्भों को डाउनलोड कर उनका निस्तारण करना होगा। यह संज्ञान में आया है कि कई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट का नियमित लागिन कर संदर्भों को डाउनलोड नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में तत्काल संदर्भों को डाउन लोड कर निस्तारण की कार्यवाही की जाय।

(7) दिनांक 25 जनवरी, 2016 से मुख्यमंत्री कार्यालय के संदर्भ अब नई वेबसाइट Jansunwai.up.nic.in प्रणाली पर उपलब्ध होंगे। अतः 25 जनवरी, 2016 से यह भी कडाई से सुनिश्चित किया जाय कि मा0मुख्यमंत्री संदर्भों को प्रतिदिन आन लाइन डाउनलोड/ई–फारवर्डिंग कर उनके निस्तारण की कार्यवाही हो।

(8) दिनांक 25 जनवरी, 2016 से आईजीआरएस प्रणाली पर ऑन लाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी प्रारम्भ हो रही है। इस प्रणाली पर भारत सरकार के पी0जी0पोर्टल से तथा लोकवाणी/जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना–पत्र भी दिनांक 25 जनवरी, 2016 से उपलब्ध होंगे, उन सभी का भी तत्परतापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में दी गयी समय सारणी एवं विस्तृत निर्देशों का स्वयं गहनता से अध्ययन करके अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः1–प्रमुख सचिव,गृह, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को उक्त संदर्भ में सूचनार्थ।
2–सचिव,मा0मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को उक्त संदर्भ में सूचनार्थ।
3–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उ0प्र0 को उपरोक्तानुसार इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ0प्र0 को उपरोक्तानुसार इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।